FAX/MAIL

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 12.01.2017 को जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन कार्य की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग) की कार्यवाही।

सर्वप्रथम बैठक (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग) में उपस्थित सभी पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को नववर्ष की शुभकामनाएँ दी गयी।

मुख्यालय से मुकुल कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–सहायक निदेशक, संजय कुमार, वैज्ञानिक डी0, एन0आई0सी0 एवं जावेद मंजर, एन0आई0सी0 की उपस्थिति में बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

1 जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन हेतु हार्डवेयर/कार्यबल एवं पायलट राजस्व ग्राम का चयन :–

1.1 अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशालय के पत्रांक–2062 दिनांक 25.11.2016 का संदर्भ जिलों को कराया गया। संदर्भित पत्र द्वारा जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन हेतु उपलब्ध हार्डवेयर/कार्यबल की उपलब्धता के प्रतिवेदन की मांग की गई थी। इस पत्र के आलोक में राज्य के पाँच जिलों यथा पूर्णियाँ, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना एवं सहरसा जिला द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

बैठक में संबंधित जिलों को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन शीघ्र निदेशालय के ईमेल directorlrs@gmail.com एवं फैक्स नं0 0612–2217107 के माध्यम से निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

अनुपालन :– अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना एवं सहरसा ।

1.2. जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन हेतु पायलट राजस्व ग्राम का चयन एवं चयनित राजस्व ग्राम में वांछित सूचना एकत्रित करने हेतु निदेशालय के पत्रांक–2066 दिनांक 27.11.2016 का संदर्भ कराते हुए प्रतिवेदन के उपलब्धता की समीक्षा की गयी। जिसके आलोक में राज्य के तीन जिला यथा जहानाबाद, पटना एवं सहरसा द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन जिलों को भी प्रतिवेदन शीघ्र निदेशालय के उक्त ईमेल एवं फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन :– अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद, पटना एवं सहरसा।

2. राजस्व ग्रामों की सूची/संख्या अद्यतन

2.1 मौजा अद्यतन :–

राज्य में एन0आई0सी0 द्वारा निर्मित्त ऑनलाईन सॉफटवेयर के माध्यम से अंचलवार राजस्व ग्रामों की सूची/संख्या अद्यतन करने का कार्य अंचल स्तर पर किया जा रहा है। समीक्षा से ज्ञात हुआ कि वर्त्तमान में **गोपालगंज, बेगूसराय, शेखपुरा, प0 चम्पारण, पटना एवं गया** द्वारा राजस्व ग्रामों की सूची/संख्या अद्यतन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के कतिपय जिलों के विभिन्न अंचलों द्वारा भी अद्यतन कार्यक्रम हेतु ऑनलाईन निर्मित्त सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट सूचनाओं को Finalised नही किया गया है। जो निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	प्रमंडल का नाम	जिला का नाम	अंचल का नाम
1	पटना	पटना	नौबतपुर, पालीगंज
2	मगध	गया	मोहरा, मोहनपुर, टेकारी
3	मुंगेर	बेगूसराय	शाम्हो अखा कुरहा
		शेखुपरा	शेखपुरा सराय
4	तिरहुत	प0 चम्पारण	पीपरासी
5	सारण	गोपालगंज	मंझा

अनुपालन :– अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय, गया, गोपालगंज, पटना, शेखपुरा एवं प0 चम्पारण ।

2.2 इसी क्रम में जिन जिलों द्वारा राजस्व ग्रामों की सूची/संख्या/हल्का अद्यतन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है उन्हें निदेश दिया गया कि यदि इस कार्य में कोई तकनीकी समस्या है तो लिखित रूप से निदेशालय को प्रतिवेदित किया जाए। यदि इस कार्य में शिथिलता बरती जाती है तो ऐसे जिलों के संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

2.3 पूर्व की विभिन्न बैठकों में जिलों को वैसे राजस्व ग्राम जो एक से अधिक पंचायतों में है कि सूचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। विमर्श के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि संबंधित राजस्व ग्राम के संबंधित पंचायत क्या उसी राजस्व ग्राम तक सीमित है अन्यथा उक्त पंचायत में किसी अन्य राजस्व ग्राम को भी शामिल करता है कि नहीं, उक्त जानकारी निदेशालय को उपलब्ध होना आवश्यक है। इस क्रम में सभी जिलों को पुनः निदेश दिया गया कि **"वैसे राजस्व ग्राम जो एक से अधिक पंचायत में है"** के संबंध में यह सूचना उपलब्ध करायी जाए कि संबंधित पंचायत उसी राजस्व ग्राम तक सीमित है अथवा अन्य राजस्व ग्राम को भी शामिल करता है। उपरोक्त के संबंध में नजरी नक्शा के साथ विस्तार सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

बैठक में यह भी निदेश दिया गया कि यदि किसी जिला में ऐसा मामला प्रकाश में नहीं हैं तो इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए कि इस जिला में वैसे राजस्व ग्राम नहीं है जो एक से अधिक पंचायत में है।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

3. **जमाबंदी पंजी का कम्प्यूटरीकरण :–**

3.1 अधोहस्ताक्षरी द्वारा जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन कार्य की जिलावार समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि विभिन्न जिलों के कई अंचलों में एक पायलट राजस्व ग्राम के अतिरिक्त अन्य राजस्व ग्रामों के जमाबंदी पंजी का डाटा इन्ट्री कार्य पूर्ण किया गया है। ऐसे जिलों के संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को अधोहस्ताक्षरी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

3.2 समीक्षा के क्रम में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन कार्य के अन्तर्गत कई राजस्व ग्रामों में मात्र 01 जमाबंदी की इन्ट्री किया गया है। सामान्य परिस्थिति में किसी भी राजस्व ग्राम में सिर्फ एक ही जमाबंदी सम्भव नहीं है। ऐसे में संबंधित जिला के संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से जाँच कर इन राजस्व ग्रामों के जमाबंदी पंजी के इन्ट्री का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जाए।

यदि इस कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता बरती जाती है तो संबंधित जिला के संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

3.3 वैसे पायलट राजस्व ग्राम जहाँ जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है उन्हें निदेश दिया गया कि डाटा इन्ट्री का कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दिया जाए। यदि इस कार्य में कोई तकनीकी समस्या है तो लिखित रूप से निदेशालय को प्रतिवेदित किया जाए अन्यथा संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में सभी जिलों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जानकारी उपलब्ध करायी गयी कि वर्त्तमान में ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पायलट राजस्व ग्रामों में जमाबंदी पंजी के इन्ट्री के सॉफ्टवेयर में उत्पन्न समस्याओं को पायलट राजस्व ग्राम के डाटा इन्ट्री के क्रम में प्राप्त सुझाव के आधार पर जमाबंदी सॉफ्टवेयर में भी सुधार किया गया है।

वर्तमान में राजस्व ग्रामों के जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन के कार्यक्रम में प्राप्त अनुभव के आधार पर यह महसुस किया गया कि जब तक किसी अंचल के पूर्ण राजस्व ग्रामों का जमाबंदी पंजी इन्ट्री नहीं कराया जाता है तबतक ई सेवाएँ यथा ऑन लाईन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, भू–खण्ड मानचित्र, दाखिल खारिज, लगान इत्यादि प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। वर्त्तमान में इस योजना को अब **"पायलट अंचल"** में प्रारंभ किया जाय।

3.4 <u>पायलट अंचल में जमाबंदी पंजी कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी</u> :–

(i) संशोधित प्रपत्र में जमाबंदी के कम्प्यूटराईजेशन हेतु वांछित आवश्यक सूचना कर्मचारी द्वारा संकलित कर डाटा इन्ट्री का कार्य कराया जाएगा।

(ii) जमाबंदी पंजी के इन्ट्री का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित फॉरमेट में प्रिन्ट कर इसका सत्यापन संबंधित कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचलाधिकारी से कराया जाएगा।

(iii) अंचल में सभी राजस्व ग्रामों का डाटा इन्ट्री पूर्ण कर अंचलाधिकारी प्रमाण पत्र देगें। उनके अंचल में डाटा इन्ट्री का कार्य पूर्ण एवं सत्यापित कर लिया गया है।

(iv) इसके उपरांत संबंधित जिला के जिलाधिकारी द्वारा इस अंचल को डिजिटल ई–सेवाएँ हेतु अधिसूचित किया जाएगा।

3.5 बैठक में मुख्य रूप से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न विषयों पर जिला को निदेश दिया गया :–

3.5.1 डाटा इन्ट्री के क्रम में जमाबंदी पंजी में प्रविष्ट वास्तविक डाटा का ही इन्ट्री कराया जाए। यदि डाटा संधारित नहीं है तो निदेशालय के पत्रांक–2066 दिनांक 27.11.2016 द्वारा प्रेषित विहित प्रपत्र में डाटा संधारित कर उसे इन्ट्री कराया जाए।

3.5.2 निदेशालय का पत्रांक–2066 दिनांक 27.11.2016 द्वारा प्रेषित प्रपत्र में किस्म जमीन का कॉलम अंकित नहीं है जबकि सॉफ्टवेयर में किस्म जमीन प्रविष्ट किया जाना है। इस अभियुक्ति के संबंध में निदेशालय द्वारा पुनः संशोधित प्रपत्र जिलों को उपलब्ध कराया जा रहा है। **(प्रपत्र संलग्न)**

3.5.3 वैसे जमाबंदी जो पूर्व से कायम तो थी परन्तु वर्त्तमान में रद्द कर दी गई है। वैसे जमाबंदी का भी इन्ट्री साक्ष्य सहित कराया जाए। वैसे जमाबंदी जिसमें खाता/खेसरा शून्य है का जमाबंदी नं0 इन्ट्री कराया जाए। सॉफ्टवेयर में इससे संबंधित आवश्यक प्रावधान शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

3.5.4 यदि जमाबंदी पंजी में जमाबंदी नं0 (/) में संधारित है तो इस संबंध में लिखित रूप से विभाग स्तर पर सम्पर्क कर आवश्यक समाधान प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिवेदन उपलब्ध करया जाय कि ऐसा क्यों किया गया है, जबकि जमाबंदी क्रमवार होनी चाहिए।

3.5.5 जमाबंदी पंजी के इन्ट्री के क्रम में किसी जमाबंदी का बंटवारा किया गया हो और उस जमाबंदी को क, ख, ग इत्यादि से चिन्हित किया गया है तो इस संबंध में इन्ट्री से पूर्व ही विभाग स्तर पर लिखित रूप से समाधान प्राप्त कर लिया जाए।

3.5.6 समीक्षा के क्रम में गया के आमस, ईमामगंज एवं मोहनपुर अंचल, मधेपुरा जिला के बिहारीगंज, सारण जिला के एकमा, छपरा सदर, ईसुआपुर दिघवारा एवं दरियापुर अंचल द्वारा चिन्हित पायलट राजस्व ग्रामों में डाटा इन्ट्री का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इन अंचलों के अंचलाधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर से कार्य प्रारम्भ नहीं करने के संबंध में कारणपृच्छा करने का निदेश संबंधित जिला के अपर समाहर्त्ता को दिया गया तथा इसकी सूचना निदेशालय को भी देने का निदेश दिया गया।

3.5.7 जमाबंदी पंजी के इन्ट्री के क्रम में किसी भी प्रकार की तकनीकी/गैर–तकनीकी समस्याएँ उत्पन्न होती है तो लिखित रूप से ही निदेशालय स्तर पर समस्या समाधान हेतु पत्राचार किया जाए ताकि इन बिन्दुओं पर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

3.5.8 जिन जिलों के जमाबंदी पंजी में अंश अंकित किया गया है उन जिलों को निदेश दिया गया कि वैसे जमाबंदी पंजी की छायाप्रति शीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए, तथा तथ्य के साथ विस्तृत प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया जाय।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

4. जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन से संबंधित सॉफ्टवेयर में सुधार :–

पूर्व के विभिन्न बैठकों में अपर समाहर्त्ताओं एवं अंचलाधिकारियों द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन हेतु निर्मित्त सॉफ्टवेयर में इस कार्य की Monitring के लिए Reporting Tools इत्यादि की व्यवस्था की जाए। अधोहस्ताक्षरी के निदेश के आलोक में एन0आई0सी0 द्वारा निर्मित्त सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया गया है।

बैठक में उपस्थित एन0आई0सी0 वैज्ञानिक संजय कुमार द्वारा Reporting Tools इत्यादि का प्रदर्शन प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जिलों को दिया गया। इसके उपरान्त जिलों द्वारा मांगी गई विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गयी :–

4.1 सभी अपर समाहर्त्ता/अंचलाधिकारी को इस सॉफ्टवेयर के परिचालन के लिए USER ID एवं PASSWORD संबंधित जिला के DIO के माध्यम से जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है।

4.2 जमाबंदी पंजी के इन्ट्री के क्रम में यदि किसी जमाबंदी में एक से अधिक प्लॉट का इन्ट्री करना हो और अधिक इन्ट्री नहीं हो रहा हो तो एक खेसरा की इन्ट्री कर जमाबंदी को Save कर लिया जाए। इसके उपरान्त जमाबंदी पंजी में सुधार (Updation Module) में जाकर अन्य सभी खेसरों का इन्ट्री किया जा सकेगा।

4.3 यदि किसी पायलट राजस्व ग्राम में इस योजना के प्रारम्भ में ही इस सॉफ्टवेयर में Trial Basis पर किसी False Entry किया गया हो और वह अब Delete नहीं हो रहा है तो इस संबंध में संबंधित जिला के DIO के माध्यम से एन0आई0सी0 मुख्यालय, पटना को ई–मेल के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराते हुए इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

4.4 अंचलाधिकारी स्तर पर इस सॉफ्टवेयर का परिचालन मौजा अद्यतन सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए पूर्व से आवंटित USER ID एवं PASSWORD से ही किया जा सकता है।

4.5 जमाबंदी पंजी का रिपोर्ट वर्त्तमान में जिलावार, अंचलवार एवं राजस्व ग्रामवार देखा जा सकता है। भविष्य में जमाबंदीवार भी रिपोर्ट देखने की व्यवस्था की जा रही है।

4.6 जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन की समीक्षा के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर में Meta Data संधारित करने के लिए डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के USER ID एवं PASSWORD से निम्न डाटा को प्रविष्ट किया जाना है।

(i) कुल रकवा – एकड़, डिसिमल में।

(ii) कुल खेसरो की संख्या।

(iii) कुल खातो की संख्या।

(iv) कुल जमाबंदी की संख्या।

(v) कुल लगान।

पायलट अंचल के सभी राजस्व ग्रामों का उक्त सूचना संधारित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

5. समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि कतिपय जिलों के विभिन्न राजस्व ग्राम में जमाबंदी पंजी के प्रत्येक Volumn में जमाबंदी नं0 1 से प्रारम्भ हो रहा है। जिसके कारण सॉफ्टवेयर में डाटा इन्ट्री के क्रम में समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। ऐसे में निदेश दिया गया कि संबंधित जिलों द्वारा लिखित रूप से राजस्व ग्राम के नाम का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

6. पूर्व के विभिन्न समीक्षात्मकों बैठकों में निदेश दिया गया था कि अपने जिला में अंचलवार कट्ठा एवं विगहा की पैमाईश Acre/Decimal में करते हुए इसकी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाए ताकि इसके संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जा सके, जो अबतक अप्राप्त है। जिलों को पुनः निदेश दिया गया कि उक्त के संबंध में प्रतिवेदन शीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता (कटिहार को छोड़ कर)।

7. समीक्षा के क्रम में यह जानकारी उपलब्ध करायी गयी कि विभिन्न जिलों के विभिन्न राजस्व ग्रामों में संधारित जमाबंदी पंजी में खाता/खेसरा संधारित नहीं है। ऐसे में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि यदि किसी जमाबंदी पंजी/जमाबंदी में खाता खेसरा संधारित नहीं है तो जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया के क्रम में आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति हेतु निदेशालय द्वारा प्रस्तावित प्रपत्र में जमाबंदी पंजी में खाता, खेसरा, रकवा एवं चौहद्दी अंकित की जाय।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

8. बैठक में उपस्थित सभी जिलों के पदाधिकारी/कर्मचारी को अधोहस्ताक्षरी को निदेश दिया गया कि पायलट राजस्व ग्राम में डाटा इन्ट्री का कार्य पूर्ण होने के उपरांत अपर समाहर्त्ता के द्वारा जिला के सर्वाधिक डाटा इन्ट्री वाले राजस्व ग्राम का डी0सी0एल0आर0 द्वारा अंचल के सर्वाधिक डाटा इन्ट्री वाले राजस्व ग्राम एवं अंचलाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ पायलट राजस्व ग्राम में डाटा इन्ट्री से प्राप्त डाटा पर लिखित रूप से प्रतिवेदन जिला समाहर्त्ता को उपलब्ध कराएगे। उक्त प्रतिवेदन की प्रति निदेशालय को भी उपलब्ध करायी जाय।

तदोपरांत संबंधित समाहर्त्ता द्वारा अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित करते हुए अपने मंतव्य एवं इस योजना के गुण दोष के संबंध में प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय ताकि उक्त पर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

9. बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिलों को यह निदेश दिया गया कि अब पायलट अंचल के आधार पर जमाबंदी पंजी का इन्ट्री कराया जाएगा तथा उस अंचल को डिजिटल अंचल घोषित करते हुए विभिन्न प्रकार की ऑनलाईन नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएगी।

इसके लिए बैठक में सभी जिलों को निदेश दिया गया कि दिनांक–20.01.2017 तक निश्चित रूप से पायलट अंचल का चयन करते हुए इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करा दी जाए। चयनित पायलट अंचल से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी को आवश्यक प्रशिक्षण/निर्देश उपलब्ध कराते हुए डाटा इन्ट्री का कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करा लिया जाय।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

10. बैठक में निम्नलिखित जिलों द्वारा स्तम्भ–4 में अंकित अंचल को पायलट अंचल के रूप में चिन्हित करते हुए अग्रेतर कार्य प्रारंभ करने की सूचना दी है।

क्रम	प्रमण्डल का नाम	जिला का नाम	चयनित पायलट अंचल का नाम
1	पटना	पटना	फुलवारीशरीफ
		नालन्दा	कतरीसराय
		बक्सर	केसठ
		रोहतास	रोहतास
2	मगध	गया	मोहनगंज
		जहानाबाद	नीमचकबथानी
3	मुंगेर	बेगूसराय	वीरपुर
		लखीसराय	पिपरिया
4	भागलपुर	भागलपुर	सुल्तानगंज
		बांका	बेलहर
5	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	श्रीनगर
6	कोशी	सुपौल	मौरोना
7	दरभंगा	दरभंगा	मनीगाछी
		मधुबनी	जयनगर
8	तिरहुत	शिवहर	डुमरी
		सीतामढ़ी	परसौनी
		मुजफ्फरपुर	मुरौल
9	सारण	सिवान	वसन्तपुर
		सारण	मकेर

निदेश दिया गया कि संबंधित अंचलों में उपलब्ध कार्य बल का उपयोग कर जमाबंदी पंजी प्रपत्र में सूचना संधारित करते हुए डाटा इन्ट्री कर अंचल को डिजिटल अंचल करने की कार्रवाई की जाय।

11. **राजस्व मानचित्रों का मुद्रण :–**

राज्य के नालन्दा, पटना, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल में प्लॉटर स्थापित करते हुए राजस्व मानचित्रों का मुद्रण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जिलों को निदेश दिया गया था कि मानचित्र मुद्रण से संबंधित प्रतिवेदन एन0आई0सी0 द्वारा निर्मित्त ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रतिदिन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए, जबकि जिलों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

पुनः निदेश दिया गया कि मानचित्र मुद्रण से संबंधित प्रतिवेदन निश्चित रूप से प्रतिदिन ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनुपालन :– अपर समाहर्त्ता, नालन्दा, पटना, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल।

सभी जिलों को निदेश दिया गया कि उपरोक्त सभी लम्बित प्रतिवेदन एवं कार्य दिनांक–23.01.2017 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाए ताकि दिनांक 30.01.2017 को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में उक्त के संबंध में विस्तृत समीक्षा की जा सके।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

17/1/17

(मिथिलेश मिश्र)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–जमाबंदी (कम्प्यू0)–330 / 2016......68...... **पटना, दिनांक** :– 18-01-2017

प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता / सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/17
निदेशक

ज्ञापांक :– 17– जमाबंदी (कम्प्यू0)–330 / 2016......68...... **पटना, दिनांक** :– 18-01-2017

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/17
निदेशक

ज्ञापांक :– 17– जमाबंदी (कम्प्यू0)–330 / 2016......68...... **पटना, दिनांक** :– 18-01-2017

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना / श्री आशीष रंजन, प्रोग्रामर, बी0पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/17
निदेशक

ज्ञापांक :– 17– जमाबंदी (कम्प्यू0)–330 / 2016......68...... **पटना, दिनांक** :– 18-01-2017

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

17/1/17
निदेशक

ज्ञापांक :– 17– जमाबंदी (कम्प्यू0)–330 / 2016......68...... **पटना, दिनांक** :– 18-01-2017

प्रतिलिपि :– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

17/1/17
निदेशक